राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध स्टाम्प प्रा.पत्र सं0–55/2016/अलवर
मूल निगरानी संख्या 1768/2015/अलवर

श्रीमती रजनी सैनी पत्नी अशोक कुमार,
मीना धर्मशाला के सामने, नया बास, अलवर। .....प्रार्थीया.

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये उप–पंजीयक, भरतपुर.
2. लक्ष्मण पुत्र श्री रामजीलाल,
   धोबी घाट जाहरीयावाला कुंआ, बुद्ध विहार, अलवर। .....अप्रार्थीगण.

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :
श्री रोहित सोनी
अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से.
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक ..... राजस्व की ओर से

मूल निगरानी निर्णय दिनांक : 16.02.2016
विविध स्टाम्प प्रा.पत्र निर्णय दि0 21.3.2016

1. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

2. प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि इसी पीठ द्वारा जारी निर्णय दिनांक 16.02.2016 में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम राज्य सरकार जरिये उप पंजीयक, बहादुरपुर जिला अलवर के स्थान पर लिपिकीय भूल से उप पंजीयक भरतपुर टंकित हो गया है, जिसको संशोधित करते हुए उनवान में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम राज्य सरकार जरिये उप पंजीयक, बहादुरपुर जिला अलवर किया जावे।

3. विभागीय प्रतिनिधि ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की।

4. परिणामस्वरूप निगरानी संख्या 1768/2015/अलवर का उनवान निम्नानुसार पढ़ा जावे :–

श्रीमती रजनी सैनी पत्नी अशोक कुमार,
मीना धर्मशाला के सामने, नया बास, अलवर। .....प्रार्थीया.

बनाम

1. **राज्य सरकार जरिये उप–पंजीयक, बहादुरपुर जिला अलवर.**
2. लक्ष्मण पुत्र श्री रामजीलाल,
   धोबी घाट जाहरीयावाला कुंआ, बुद्ध विहार, अलवर। .....अप्रार्थीगण.

5. निर्णय की प्रति मूल निगरानी की सत्यापित प्रति के साथ उप पंजीयक बहादुरपुर जिला अलवर को प्रेषित की जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल)
सदस्य